

न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

रामसजीवन

बनाम

लाला आदि

मुकदमा नं०-56/2019

CNR N.-UPCH0-4000815-2019

J.O.Code-UP01597

थाना-कर्वी, जिला चित्रकूट

21/01/2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दं० प्र० सं० नियत है। कोई मौका प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवादी की ओर से धारा 200 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत स्वयं का बयान अंकित नहीं कराया गया है। परिवादी विगत कई नियत तिथियों से अनुपस्थित है। परिवाद पत्र में किए गए कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण तलब किए जाने योग्य नहीं है।

तदनुसार परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं० प्र० सं० में निरस्त किया जाता है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं० प्र० सं० में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिलदफ्तर हो।

सी० जे० एम०

चित्रकूट।